संख्या- 21/2024/001-473-24-1-2024-64-2023

प्रेषक,

प्रभंजन यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 16 मार्च, 2024**

विषयः- 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1478/अधि0नि0(वित्त)/निधि-2/आय-व्ययक 2023-24/436, दिनांक 08 फरवरी, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 4801-06-190-09-30 में 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपये 2,47,00,000/- (रूपये दो करोड़ सैतालिस लाख मात्र) तथा संलग्न बी0एम0:-09 के अनुसार धनराशि रू0 4,67,91,210/-(रूपये चार करोड़ सरसठ लाख इक्यान्वे हजार दो सौ दस मात्र) अर्थात कुल रू0 7,14,91,210/- (रूपये सात करोड़ चौदह लाख इक्यान्वे हजार दो सौ दस मात्र) को आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया गया हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को आवश्यकता होने पर आहरित किया जायेगा तथा जिस मद में धनराशि स्वीकृत की गयी है उसी मद में स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में करेंगे।

(3) धनराशि का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो।

(7) इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,14,91,210 (रुपये सात करोड़ चौदह लाख इक्यानबे हजार दो सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 009 लेखा शीर्षक 4801061900900 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना (के.75/रा.25-रा.) मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-171-X-2023-24-दिनांक:15-3-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।

संख्या- 21/2024/001-473-24-1-2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स-7- लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001
3- प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, 15-ए, दयानन्द मार्ग, सिविल लाइन, प्रयागराज-211001
4- कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-।।), उ0प्र0, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव।